सिफ़ारर्स यूनिटी डे 2025 – मुंबई

भाषण

श्री समीर कुमार खरे
अध्यक्ष, नेशनल शिपिंग बोर्ड (NSB)

प्रिय साथियो,

आज का यह दिन, यह अवसर, और यह वातावरण हम सबको एक ऐसी भावना में जोड़ता है जो हर भारतीय नाविक के दिल में बसती है — एकता, समर्पण और गर्व की भावना। मुंबई की यह धरती भारत की समुद्री आत्मा का केंद्र है। यहाँ से न केवल हमारे बंदरगाहों की रफ्तार तय होती है, बल्कि हमारे समुद्री समुदाय की दिशा भी तय होती है। और आज जब हम सिफ़ारर्स यूनिटी डे मना रहे हैं, तो यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन सभी भारतीय नाविकों के प्रति सम्मान का दिन है जो समुद्र की अनिश्चित लहरों में भी राष्ट्र के तिरंगे को ऊँचा रखते हैं।

सिफ़ारर्स यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है —
यह दिन भारतीय नाविकों की एकता, साहस और सेवा भावना को समर्पित है। इसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक क्षण की याद में हुई जब भारतीय सिफ़ारर्स ने यह साबित किया कि वे केवल समुद्र के कर्मवीर नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रहरी हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि चाहे चुनौतियाँ कितनी भी हों — मौसम की, दूरी की या समय की — भारतीय नाविक हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। यह एक ऐसा दिन है जो हमें सिखाता है कि समुद्र हमें जोड़ता है, विभाजित नहीं करता; यह एकता, सहयोग और विश्वास का प्रतीक है।

भारत का समुद्री इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी सभ्यता स्वयं। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर लोथल के बंदरगाहों तक, चोल और कलिंग के समुद्री साम्राज्यों से लेकर आधुनिक काल तक, समुद्र हमारे लिए केवल व्यापार का

माध्यम नहीं रहा, बल्कि संवाद, सहयोग और विकास का मार्ग रहा है। भारतीय नाविकों ने सदियों से यह सिद्ध किया है कि वे केवल जहाज़ नहीं चलाते, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा, अनुशासन और विश्वसनीयता को आगे बढ़ाते हैं। आज जब हमारे सिफ़ारर्स दुनिया के हर कोने में कार्यरत हैं — चाहे वह कंटेनर जहाज़ हों, क्रूड ऑयल टैंकर हों या क्रूज़ लाइनर — हर बंदरगाह पर भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

मैं सबसे पहले उन सभी भारतीय नाविकों को नमन करता हूँ जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की गति को थमने नहीं दिया। कोविड के समय जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, तब भी हमारे सिफ़ारर्स ने अपने जहाज़ों पर डटे रहकर देश को यह संदेश दिया कि चाहे लहरें कितनी भी प्रचंड क्यों न हों, भारतीय नाविक अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते।

आपके इसी समर्पण को देखते हुए नेशनल शिपिंग बोर्ड ने यह निश्चय किया कि सिफ़ारर्स की समस्याओं को केवल सुना नहीं जाएगा, बल्कि उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में एनएसबी ने एफआरआरओ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं, जिनका उद्देश्य था कि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को सिफ़ारर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए।

इन बैठकों में नेशनल शिपिंग बोर्ड ने नाविकों के सामने आने वाली अनेक व्यावहारिक समस्याओं को विस्तार से रखा।

> सबसे पहले, शोर लीव और शोर पास की अनुमति को लेकर देश के विभिन्न पोर्ट्स पर जो असमानता थी, उसे प्राथमिक मुद्दे के रूप में उठाया गया। कुछ बंदरगाहों पर अनुमति मिलने में अत्यधिक देरी होती थी, जबकि अन्य स्थानों पर स्थानीय व्याख्या के कारण नाविकों को पोत से उतरने तक की अनुमति नहीं मिलती थी।
>
> दूसरा, साइन ऑन और साइन ऑफ की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को चिन्हित किया गया। एनएसबी ने यह स्पष्ट किया कि भारत के अपने

जहाज़ों पर कार्यरत सिफ़ारर्स को बार-बार अलग-अलग दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या दोहराव वाली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहिए।

तीसरा, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लीयरेंस के दोहराव की समस्या थी। बोर्ड ने एफआरआरओ और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन दोनों के साथ बैठकर यह कहा कि एक ही प्रक्रिया दो बार लागू करना न तो व्यवहारिक है और न ही न्यायसंगत।

चौथा, विदेशी बंदरगाहों से लौटने वाले भारतीय नाविकों के लिए क्वारंटाइन और स्वास्थ्य प्रमाणन की जो भ्रमित व्यवस्था थी, उसे भी दूर करने के लिए एनएसबी ने स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजी शिपिंग के साथ एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की पहल की।

इन सभी चर्चाओं में एनएसबी ने केवल सुझाव नहीं दिए, बल्कि सभी पक्षों — जहाज़ कंपनियों, नाविक संगठनों और सरकारी एजेंसियों — के बीच संवाद का सेतु बनकर काम किया। यही कारण है कि आज इन विषयों पर एक समान, व्यावहारिक और सुसंगत नीतियाँ लागू की जा सकी हैं।

मुझे यह बताते हुए संतोष है कि इन प्रयासों के ठोस परिणाम सामने आए हैं। साइन ऑन और साइन ऑफ की प्रक्रिया अब अधिक सरल और पारदर्शी हो चुकी है। शोर लीव और शोर पास से संबंधित जो अस्पष्टता थी, वह समाप्त हो चुकी है। अब भारतीय सिफ़ारर्स को प्रत्येक पोर्ट कॉल के दौरान दस दिनों तक की वैध शोर लीव का अधिकार है। इमिग्रेशन क्लीयरेंस के लिए भी एक समान व्यवस्था बनाई गई है, ताकि देश के सभी बंदरगाहों पर एकरूपता बनी रहे।

इन सुधारों के पीछे केवल नीति नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना है। मैं इस अवसर पर NUSI, MUI, INSA और ICSSA जैसे सभी संगठनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने सिफ़ारर्स की आवाज़ को हर मंच तक पहुँचाया और लगातार इस दिशा में सहयोग दिया। एनएसबी ने यह सुनिश्चित किया कि नाविकों की व्यावहारिक समस्याएँ सीधे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनें और उनका समाधान केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखे।

साथियो, जब मैं सिफ़ारर्स से मिलता हूँ तो उनकी आँखों में केवल मेहनत नहीं बल्कि गर्व झलकता है — वह गर्व जो तब महसूस होता है जब कोई भारतीय नाविक किसी विदेशी बंदरगाह पर उतरकर अपने तिरंगे की पहचान कराता है। वह केवल एक कर्मचारी नहीं होता; वह भारत के आत्मविश्वास और अनुशासन का प्रतिनिधि होता है। हर भारतीय नाविक भारत की छवि का दूत है। आपके आचरण, आपकी कार्यकुशलता और आपके अनुशासन से ही दुनिया भारत को पहचानती है।

नेशनल शिपिंग बोर्ड का लक्ष्य केवल मौजूदा समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करना भी है। इसी दृष्टि से अब हम कई और पहलें कर रहे हैं — डिजिटल शिपिंग आइडेंटिटी और पास सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि हर नाविक अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपडेट रख सके और किसी भी बंदरगाह पर अनावश्यक देरी का सामना न करे। ट्रेनिंग और अप-स्किलिंग के लिए भी विशेष योजना बनाई जा रही है ताकि भारत के सिफ़ारर्स नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और ग्रीन शिपिंग में अग्रणी भूमिका निभा सकें।

इसके साथ ही, सिफ़ारर्स वेलफेयर स्कीम्स का विस्तार किया जा रहा है ताकि नाविकों के परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले — बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा में ठोस सहयोग दिया जा सके। भारत अब ग्रीन और सस्टेनेबल शिपिंग की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे बंदरगाहों पर ग्रीन हाइड्रोजन और मिथेनॉल आधारित फ्यूल प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा चुके हैं, और तटीय शिपिंग को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स स्थापित किए जा रहे हैं।

इन सभी पहलों में सिफ़ारर्स की भूमिका केंद्रीय है। आप ही वो शक्ति हैं जो नीतियों को ज़मीन पर उतारते हैं, आप ही वो चेहरे हैं जिनसे दुनिया भारत की समुद्री क्षमता को पहचानती है।

कभी-कभी हमें लगता है कि समुद्र बहुत विशाल है और उसमें हमारी भूमिका बहुत छोटी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर लहर, हर जहाज़ और हर बंदरगाह

की धड़कन में भारतीय सिफ़ारर्स की मेहनत गूँजती है। आप ही वह शक्ति हैं जिसने भारत को एक समुद्री राष्ट्र से समुद्री शक्ति बनाया है।

आज का यह सिफ़ारर्स यूनिटी डे हमें यह याद दिलाता है कि एकता और संवाद ही प्रगति की असली कुंजी हैं। एनएसबी आपकी आवाज़ हमेशा सुनेगा और आपके मुद्दों को नीतियों में बदलता रहेगा। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है — हर भारतीय सिफ़ारर को गरिमा, सुविधा और अवसर मिले।

भारत का समुद्री भविष्य तभी सुदृढ़ होगा जब उसका नाविक सशक्त होगा। एनएसबी केवल नीतियाँ नहीं बनाता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि नीति का लाभ नाविक तक पहुँचे। आपकी एकता, अनुशासन और समर्पण ही वह नींव हैं जिन पर भारत की समुद्री ताकत टिकी है।

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा — लहरें चाहे ऊँची हों या शांत, नाविक का हौसला कभी कम नहीं होता। आपका यह हौसला, यह एकजुटता और यह समर्पण भारत की असली समुद्री शक्ति है। मैं आप सभी को सिफ़ारर्स यूनिटी डे की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आपका परिश्रम भारत के हर तट, हर जहाज़ और हर बंदरगाह की पहचान है।

जय हिन्द।
जय नाविक।